



35

निगरानी प्रकरण क्र. :/2013
प्रस्तुति दिनांक :/12/2013

श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्यप्रदेश
ग्वालियर के न्यायालय में

निग. 2476-II-13

1. विनय पिता श्री विरेन्द्र लोढ़ा
निवासी-136, एम.जी.रोड, इन्दौर (म.प्र.)
2. श्रीमती रिषिका पति श्री वी.के. जैन
निवासी-22/2, देवी अहिल्या मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)
3. श्रीमती त्रिशिला जैन पति श्री राकेश जैन
निवासी-92, तिरुपति नगर, इन्दौर (म.प्र.)

4. श्रीमती मनोरमा पति श्री देवानंद तिवारी
निवासी-45, अहिल्यापुरा, इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर, इन्दौर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

2. अध्यक्ष महिला कर्मचारी गृ.नि.सह.सं. मर्यादित,
पता-503, उषानगर एक्सटेंशन,
इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर कलेक्टर, इन्दौर जिला इन्दौर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ-39/2012-13 में दिनांक 21/10/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

[Handwritten signature]

म.प्र. शासन द्वारा
जि. नि. 16/12/13 को



कल 16/12/13
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

[Handwritten signature]
16/12/13

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4476-दो/13 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-11-18	<p>आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है।</p> <p></p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>